ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(29)खा.वि./आवंटन/2024-02560   जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

समस्त,
जिला कलक्टर(रसद),
राजस्थान।

विषय :- खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोडने हेतु पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.01.2025

राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 में पात्र परिवारों को जोडने एवं अपात्र परिवारों को हटाने हेतु अपीलीय प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अपीलीय प्रक्रिया में सरलीकरण करने के लिए विभाग द्वारा दिनांक 22.01.2025 को आदेश जारी किये गये थे। इस आदेश में मौके की जांच हेतु एक कमेटी के गठन के प्रावधान किये गये है तथा इस कमेटी की जांच रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करने एवं शहरी क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक विकास अधिकारी द्वारा अपने स्पष्ट अभिमत के साथ प्रकरण अपीलीय अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी) को निर्णय हेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

विभिन्न स्तरों से माननीय खाद्यमंत्री महोदय के संज्ञान में यह तथ्य सामने आया है कि पूर्व में लम्बित अपीलों के निस्तारण में उक्त आदेश के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा फील्ड से जांच करवा कर रिपोर्ट नहीं ली जा रही है।

अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जुडवाने हेतु पूर्व से लम्बित अपीलों के निस्तारण में विभागीय आदेश दिनांक 22.01.2025 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि निस्तारित अपीलों की जिला स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारियों से 2 प्रतिशत की RANDOM जांच करायी जायें। इस जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही/गलत रिपोर्टिगं पायी जाने पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायें।

(सुबीर कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः-

1- विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज.जयपुर।
3- समस्त जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (खाद्य) को विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं संबंधित [illegible] कराने हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subir Kumar
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2025.02.06 18:16:31 IST
Reason: Approved